



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269942
CG-DL-E-07022026-269942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 523]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 552(अ).— केन्द्रीय सरकार तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (ज) के साथ पठित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, समुद्री और खारे पानी में स्वदेशी श्रिम्प के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फॉर्मस दिशानिर्देश, 2025 (जिन्हें यहां "उक्त दिशा-निर्देश" कहा गया है) में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त दिशा-निर्देशों में,-

(क) आरंभिक अनुच्छेद में, "दोनों" और "पी. मोनोडोन" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(ख) प्रारंभिक अनुच्छेद के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "स्वदेशी झींगा" में पी. मोनोडोन शामिल है, जिनके लिए विशेष रोग मुक्त स्वदेशी स्टॉक्स पहले से ही देश में उपलब्ध हैं। पी. मोनोडोन की जलकृषि, दिनांक 15 मार्च 2024 की अधिसूचना संख्या S.O. 1459(E) के माध्यम से जारी भारत में न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर तथा ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर की स्थापना एवं संचालन के लिए दिशा-निर्देश ' के अनुसार ही कड़ाई से की जाएगी।"

(ग) जहां कहीं भी "ब्रूडस्टॉक" शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसके स्थान पर "वाइल्ड स्टॉक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) भाग-1 में, अनुच्छेद 7 के उप-अनुच्छेद (7) में, शब्द, "नीलांकराय स्थित जलीय संगरोध सुविधा प्रयोगशाला या" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

सागर मेहरा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी - मूल अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 2903 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDARY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 552(E).— In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (j) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Hatcheries and Farms for Seed Production and Culture of Indigenous Shrimp in Marine and Brackishwater Guidelines, 2025 (hereinafter referred to as the said guidelines), namely:-

1. In the said guidelines, -

(a) in the opening paragraph, the words "both" and "*P. Monodon*," shall be omitted.

(b) after the opening paragraph, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation: for the purposes of this notification, "indigenous shrimp" includes *P. monodon* for which specific pathogen free domesticated stocks are already available in the country. The aquaculture of *P. monodon* shall strictly be practiced as per the 'Guidelines for the establishment and operation of Nucleus Breeding Centres and Broodstock Multiplication Centres in India' issued vide notification number S.O. 1459(E) dated 15th March, 2024."

(c) for the word "broodstock" wherever it occurs, the words "wild stock" shall be substituted.

(d) in PART-1, in paragraph 7, in sub-paragraph (7), the words "Aquatic Quarantine Facility laboratory at Neelankarai or" shall be omitted.

2. This notification shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

SAGAR MEHRA, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 2903(E), dated the 30th June, 2025.